[प्राधिकृत अनुवाद]

हरियाणा विधान सभा

2025 का विधेयक संख्या–19 एच०एल०ए०

हरियाणा विधान सभा (सदस्य वेतन, भत्ता तथा पेंशन) संशोधन विधेयक, 2025

हरियाणा विधान सभा (सदस्य वेतन, भत्ता तथा पेंशन) अधिनियम, 1975 को आगे संशोधित करने के लिए विधेयक

भारत गणराज्य के छिहत्तरवें वर्ष में हरियाणा राज्य विधानमण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :–

1. हरियाणा विधान सभा (सदस्य वेतन, भत्ता तथा पेंशन) संशोधन अधिनियम, 2025 कहा जा सकता है। संक्षिप्त नाम।

2. हरियाणा विधान सभा (सदस्य वेतन, भत्ता तथा पेंशन) अधिनियम, 1975 की धारा 7 ग के खण्ड (ग) के स्थान पर, निम्नलिखित खण्ड प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:– 1975 के हरियाणा अधिनियम 2 की धारा 7 ग का संशोधन।

"(ग) भारत में कहीं भी स्वयं या उसके परिवारिक सदस्यों द्वारा की गई यात्रा के लिए विशेष यात्रा भत्ता की ऐसी राशि, जो प्रति माह दस हजार रुपए से अधिक न हो।"।

उद्देश्यों तथा कारणों का विवरण

हरियाणा विधान सभा (सदस्य वेतन, भत्ता तथा पेंशन) अधिनियम, 1975 की धारा 7 ग के खण्ड (ग) के अधीन, हरियाणा विधान सभा का प्रत्येक सदस्य प्रति माह अधिकतम दस हजार रुपये का विशेष यात्रा भत्ता का हकदार है, जिसमे यह सुनिश्चित किया जा सके कि मासिक पेंशन, महंगाई राहत और उक्त राशि की कुल राशि स्वयं या उनके परिवारिक सदस्यों द्वारा यात्रा के लिए एक लाख रुपए के बराबर हो।

हाल के दिनों में, विभिन्न सदस्यों ने व्यक्तिगत रूप से और संयुक्त रूप से माननीय अध्यक्ष से संपर्क किया और कहा है कि;–

(i) मौजूदा प्रावधान, जिसमे विशेष यात्रा भत्ता के तहत मासिक पेंशन और महंगाई राहत की कुल राशि एक लाख रुपए के बराबर की सीमा रखी गई है, स्वयं या उसके परिवारिक सदस्यों द्वारा भारत में कहीं भी यात्रा के लिए प्रति माह अधिकतम दस हजार रुपये, वर्तमान मुद्रास्फीति प्रवृत्तियों को पर्याप्त रूप से प्रतिबिंबित नहीं करता है और सुझाव दिया कि :

(क) विशेष यात्रा भत्ता में मासिक पेंशन और महंगाई राहत की कुल राशि एक लाख रूपए के बराबर की सीमा समाप्त की जाए व स्वयं या उसके परिवारिक सदस्यों द्वारा भारत में कहीं भी यात्रा के लिए प्रति माह अधिकतम दस हजार रुपये का विशेष यात्रा भत्ता प्रदान करना जारी रखा जाए।

उपरोक्त सुझाव पर विचार करते हुए, विधेयक का उद्देश्य हरियाणा विधान सभा (सदस्य वेतन, भत्ता तथा पेंशन) अधिनियम, 1975 की धारा 7 ग के खण्ड (ग) को प्रतिस्थापित करना है।

महीपाल ढांडा,
संसदीय कार्य मंत्री, हरियाणा।

भारत के संविधान के अनुच्छेद 207 के खण्ड (1) तथा (3) के अनुसरण में राज्यपाल ने हरियाणा विधान सभा से इस विधेयक को प्रस्तुत करने तथा इस पर विचार करने की सिफारिश की है।

चण्डीगढ़ :
दिनांक 7 अगस्त, 2025.

राजीव प्रसाद,
सचिव।

अवधेय: उपर्युक्त विधेयक हरियाणा विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों के नियम 128 के परन्तुक के अधीन दिनांक 7 अगस्त, 2025 के हरियाणा गवर्नमैंट गजट (असाधारण) में प्रकाशित किया था।

वित्तीय ज्ञापन

हरियाणा विधान सभा (सदस्य वेतन, भत्ता तथा पेंशन) अधिनियम, 1975 की धारा 7 ग के खण्ड (ग) में दस हजार रुपए से अधिक नहीं के विशेष यात्रा भत्ते का प्रावधान है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि मासिक पेंशन, महंगाई राहत और उक्त राशि की कुल राशि स्वयं या उनके परिवार के सदस्यों द्वारा यात्रा के लिए एक लाख रुपए के बराबर हो।

यह अनुमान लगाया गया है कि यदि हरियाणा विधान सभा (सदस्य वेतन, भत्ता तथा पेंशन) अधिनियम, 1975 की धारा 7 ग के खण्ड (ग) में 1,00,000 रुपए की सीमा को हटाने के लिए संशोधन किया जाता है, तो लगभग 55,00,000 रुपए का अतिरिक्त व्यय होगा।

अनुबन्ध

हरियाणा विधान सभा (सदस्य वेतन, भत्ता तथा पेंशन) अधिनियम, 1975 से उद्धरण

[(ग) [विशेष यात्रा भत्ता] जो प्रतिमाह दस हजार रुपए से अधिक न हो, जिससे मासिक पेंशन, महंगाई राहत बनेगी तथा उक्त राशि भारत में कहीं भी स्वयं या अपने परिवारिक सदस्यों द्वारा की गई यात्रा के लिए एक लाख रुपए के बराबर होगी।]

12025–H.V.S.–H.G.P., Pkl.